न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 162/2018 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2018/01225
दायर दिनांक :– 01.11.2018 **निर्णय दिनांक :–** 08.11.2024

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

जयसुखराम पुत्र गुलाराम
निवासी जाम्बा की ढाणी
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

1. रूगनाथराम पुत्र रामकिशन फौत के कायम मुकाम जाति विश्नोई
1/1 जोराराम पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई नि. जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला जोधपुर
1/2 बाबू पुत्री रूगनाथराम पत्नि भीयांराम जाति विश्नोई निवासी ननेऊ तहसील फलोदी
1/3 सोमारी पुत्री रूगनाथराम पत्नि रावलराम जाति विश्नोई निवासी हाणियां तहसील ओसियां
02. बीरमाराम पुत्र रूगनाथराम
03. राजकुमार पुत्र जोराराम
04. चावली पत्नि हरीराम (विलोपित)
05. मांगीलाल पुत्र हरिराम
06. श्यामलाल पुत्र हरिराम
07. गोरधनराम पुत्र बगडूराम
08. किशनाराम पुत्र बगडूराम
सभी जाति विश्नोई
निवासी ग्राम जाम्बा की ढाणी
तहसील बाप जिला जोधपुर
09. श्रीमान तहसीलदार, बाप
10. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा
शाखा नई सड़क, फलोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2 श्री करणीसिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी
संख्या 1/1, 2, 5 ता 7 की और से

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम जाम्बा की ढाणी पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप में खसरा नम्बर 617/1 रकबा 59.18 बीघा, खसरा नम्बर 617 रकबा 57.18 बीघा एवं खसरा नम्बर 617/2 रकबा 10.00 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1/1, 2, 5 ता 7 की और से अधिवक्ता श्री करणीसिंह राठोड़ ने वकालतनामा पेश

08.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

किया। पत्रावली में अधिवक्ता उभ्य पक्ष की बहस सुनकर ग्राम जाम्बा की ढाणी पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप में खसरा नम्बर 617/1 रकबा 59.18 बीघा, खसरा नम्बर 617 रकबा 57.18 बीघा एवं खसरा नम्बर 617/2 रकबा 10.00 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में को कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम जाम्बा की ढाणी पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 617 रकबा 8.0775 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617/1 रकबा 2.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617/4 रकबा 7.2762 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	जोराराम, बीरमाराम पि. रूगनाथराम, बाधु, सोमारी पुत्री रूगनाथराम जाति बिश्नोई सा.देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा फलोदी	जाम्बा की ढाणी	617 617/5	7.9075 हैक्टेयर 1.2950 हैक्टेयर	बी–2
2	जयसुखराम पुत्र गुलाराम जाति बिश्नोई सा.देह खातेदार	जाम्बा की ढाणी	617/1	2.3795 हैक्टेयर	बी–2
3	बीरमाराम पुत्र रूगनाथराम जाति बिश्नोई सा.देह खातेदार	जाम्बा की ढाणी	617/2	0.8094 हैक्टेयर	बी–2
4	राजकुमार पुत्र जोराराम जाति बिश्नोई सा. देह खातेदार	जाम्बा की ढाणी	617/3	0.8094 हैक्टेयर	बी–2
5	मांगीलाल, श्यामलाल पुत्र हरिराम 1/3 हिस्सा, गोरधनराम पुत्र बगडूराम 1/3 हिस्सा, किशनाराम पुत्र बगडूराम 1/3 हिस्सा जाति बिश्नोई सा.देह खातेदार	जाम्बा की ढाणी	617/4	7.1629 हैक्टेयर	बी–2
6	गै.मु.रास्ता	जाम्बा की ढाणी	617	0.3237 हैक्टेयर	बी–2

08.11.18
सहायक कलेक्टर
(फलोदी)

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

जयसुखराम पुत्र गुलाराम
निवासी जाम्बा की ढाणी
तहसील बाप जिला जोधपुर

1. रूगनाथराम पुत्र रामकिशन फौत
के कायम मुकाम जाति विश्नोई
1/1 जोराराम पुत्र रूगनाथराम
जाति विश्नोई नि. जाम्बा की ढाणी
तहसील बाप जिला जोधपुर
1/2 बाबू पुत्री रूगनाथराम
पत्नि भीयाराम जाति विश्नोई
निवासी ननेऊ तहसील फलोदी
1/3 सोमारी पुत्री रूगनाथराम
पत्नि रावलराम जाति विश्नोई
निवासी हाणियां तहसील ओसियां
02. बीरमाराम पुत्र रूगनाथराम
03. राजकुमार पुत्र जोराराम
04. चावली पत्नि हरीराम (विलोपित)
05. मांगीलाल पुत्र हरिराम
06. श्यामलाल पुत्र हरिराम
07. गोरधनराम पुत्र बगडूराम
08. किशनाराम पुत्र बगडूराम
सभी जाति विश्नोई
निवासी ग्राम जाम्बा की ढाणी
तहसील बाप जिला जोधपुर
09. श्रीमान तहसीलदार, बाप
10. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा
शाखा नई सड़क, फलोदी

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

राजस्व वाद संख्या 162/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व करणीसिंह राठौड़ मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम जाम्बा की ढाणी पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 617 रकबा 8.0775 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617/1 रकबा 2.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617/3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 617/4 रकबा 7.2762 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	जोराराम, बीरमाराम पि. रूगनाथराम, बाधु, सोमारी पुत्री रूगनाथराम जाति बिश्नोई सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा फलोदी	जाम्बा की ढाणी	617	7.9075 हैक्टेयर	बी–2
			617/5	1.2950 हैक्टेयर	

08.11.24
सहा. कलेक्टर
(... फलोदी)

2	[illegible] पुत्र [illegible] अमि विश्नोई सा [illegible]	आबाद की खाती	6/1/1	1.1240 हैक्टेयर	क्र. 1
3	[illegible] पुत्र [illegible] अमि विश्नोई सा [illegible]	आबाद की खाती	6/1/2	1.1240 हैक्टेयर	क्र. 1
4	[illegible] पुत्र [illegible] अमि विश्नोई सा [illegible]	आबाद की खाती	6/1/3	1.1240 हैक्टेयर	क्र. 1
5	[illegible] पुत्र [illegible] 1/3 [illegible] पुत्र [illegible] 1/3 [illegible] पुत्र [illegible] 1/3 [illegible] अमि विश्नोई सा [illegible]	आबाद की खाती	6/1/6	1.1240 हैक्टेयर	क्र. 1
6	[illegible]	आबाद की खाती	6/1	1.1240 हैक्टेयर	क्र. 1

[illegible] को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त [illegible] भूमि के विभाजन का नक्शा [illegible] व [illegible] का वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6 के [illegible] अलग-अलग [illegible] के अनुसार नक्शा [illegible] में शामिल करें। [illegible] नक्शा [illegible] का [illegible] [illegible]

मुतफर्रिक बाबत

खर्चा इस मुकदमे का [illegible] व [illegible] फीस [illegible] आज की तारीख

[illegible] को अदा करें।

बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.11.2024 को जारी की गई।

(सुखराम विश्नोई [illegible])
सहायक कलेक्टर
बाप (फलौदी)

मुद्दई	[illegible]	[illegible]	मुद्दालेह	[illegible]	[illegible]
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा वह जो कमिशन का बाद डिग्री के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।